527

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(31)नविवि/2017 जयपुर, दिनांकः- 02/8/17

आदेश

परिपत्र दिनांक 22.12.2014 से भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में विकसित भूमि संबंधित खातेदार को दिये जाने बाबत स्पष्ट निर्देश दिये गये है। जो इस प्रकार हैः-

"अवाप्तशुदा भूमि के बदले अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि केवल उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी जिसकी भूमि अवाप्त की गई है। खातेदार द्वारा बताये गये अन्य व्यक्तियों के नाम से भूमि का आवंटन नही किया जा सकेगा।"

इस संबंध में पुनः स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देश दिये जाते है कि नगरीय निकायों (नगर विकास न्यास, आवासन मण्डल व प्राधिकरण) स्तर पर अवाप्ति के बदले दी जाने वाली विकसित भूमि का पट्टा भी खातेदार को ही दिया जावें। पूर्व में विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.11.2016 से आरक्षण पत्रों/आवंटन पत्रों के आधार पर हुये बेचान क लिए 3 माह की एक बारीय छूट दी गई थी। वह अवधि समाप्त होने से वह आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

इससे आशय यह है कि खातेदार द्वारा आरक्षण पत्र का बेचान कर दिया गया है तो संबंधित केता के पक्ष में पट्टा जारी करने की कार्यवाही नही की जावें। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,
02/8/17
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोय, नगरीय विकास, आवासान विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. नीजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासान विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
5. जिला कलक्टर (समस्त) राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान,जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)